सत्यमेव जयते

कार्यालय मुख्य आयुक्त,
जी.एस.टी. एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (जयपुर परिक्षेत्र), जयपुर
(नव केन्द्रीय राजस्व भवन, स्टैच्यु सर्किल, "सी" स्कीम, जयपुर–302005)
(कैड़र कन्ट्रोल यूनिट)

फा.सं. II–31(01)सीसीयू/जे.जेड/2016/पार्ट–II/838 दिनांक: 16.08.2019

ज्ञापन

निम्नलिखित उम्मीदवार को वेतनमान पीबी–2, रू. 9300–34800 तथा ग्रेड वेतन रू. 4600/– (revised as level-7 in Pay Matrix Rs. 44900-142400) एवं भारत सरकार द्वारा समय–समय पर स्वीकृत किये जाने वाले भत्तों के साथ कार्यालय मुख्य आयुक्त, जी.एस.टी. व केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क (जयपुर परिक्षेत्र), जयपुर (राजस्थान) के अधीन आयुक्तालयों के क्षेत्राधिकार में निरीक्षक, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (ग्रुप–ब, अराजपत्रित), (अब, निरीक्षक, जी.एस.टी.) के पद पर अस्थाई नियुक्ति प्रस्ताव दिया जाता है:–

S. No.	Name of Candidate	Date of Birth	Category
1	Shri Amit Kumar	27.03.1990	UR

उपरोक्त नियुक्ति एनक्जर–"अ" में उल्लेखित एवं निम्नलिखित शर्तो के अनुसार रहेगी:–

1. उपरोक्त नियुक्ति प्रस्ताव इस शर्त पर जारी किया जा रहा है कि यदि उनके पुलिस एवं चरित्र प्रमाण पत्र और उनके द्वारा प्रस्तुत जन्म तिथि, शैक्षणिक योग्यता, जाति प्रमाण पत्र, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, इत्यादि दस्तावेजों के सत्यापन के दौरान या अन्यथा यदि कोई विपरीत तथ्य इस विभाग की जानकारी में आता है, तो उनकी इस विभाग में सेवा बिना किसी नोटिस के या बिना उनको कारण बताये समाप्त कर दी जायेगी और इस प्रकार का असत्य तथ्य/ प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए विभाग भारतीय दंड संहिता के उपबन्धो के तहत् नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही करेगा।

2. उनका निरीक्षक के पद पर नियुक्ति की तिथि से दो वर्ष का परिवीक्षा काल रहेगा। उन्हें दो वर्ष के अन्दर स्थायीकरण हेतु निर्धारित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी।

3. उनकी निरीक्षक श्रेणी में वरीयता भारत सरकार द्वारा जारी नियमों/अनुदेशों के अनुसार निर्धारित की जायेगी।

4. वे राजस्थान राज्य में कहीं भी स्थानान्तरण के लिए बाध्य हैं तथा वित मंत्रालय, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, नई दिल्ली (अब अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड, नई दिल्ली) के पत्र संख्या ए.32022/19/2008–प्रशा.तृतीय.ए दिनांक 19.11.2010 के अनुसार उनकी <u>All India Transfer Liability</u> रहेगी।

5. यदि वे संलग्न एनक्जर–"अ" व उपरोक्त वर्णित शर्तो को स्वीकार करते हों तो दिनांक 16.09.2019 को या इससे पहले अद्योहस्ताक्षरकर्ता को निरीक्षक के पद पर अपनी कार्यग्रहण रिपोर्ट प्रस्तुत करें। ऐसा न करने पर यह नियुक्ति प्रस्ताव रद्द समझा जायेगा। इस पद पर कार्यभार सम्भालने के लिए कोई यात्रा भत्ता देय नहीं है।

संलग्न:– एनक्जर–"अ"

16.08.19

(प्रमोद कुमार सिंह)
प्रधान आयुक्त

<u>Through Regd. AD Post</u>
Shri Amit Kumar,
S/o Umed Singh,
Village – Adampur, Post Office- Adampur Dadhi,
Tehsil- Charkhi Dadri,
District- Bhiwani,
Haryana-127310.